

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 1979.....

1. अधिकारी /कर्मचारी का पूरा नाम प्रमोद चारुकर दिव्यात 2. वर्तमान धारित पद सहायक जेजी (सि.सी.ल.) कार्यालय का नाम अतिरिक्त भाग निभाण (सेवा)  
 3. वर्तमान वेतन 46750 F 6600 + D.A. 4. भविष्य निधि क्रमांक 22609803 5. कर्मचारी संख्या 90462936

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा बयौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी / कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा बयौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1 प्रीतिपुरम पाठशाला उज्जैन इन्दौर	आवासीय भवन 1100 स्क्वैरिटर	-	18 लाख	स्वयं के नाम पर	L.I.C. से प्रदान लेख	निरंक	-
2 श्याम बगोदा पि. इन्दौर	-	0.39 हैक्टर पर वृषी भूमि	शासन के नियमनुसार	तद्वर	अल्पकालीन एवं अन्य सम्पत्ति से विद्युत से अर्जित	निरंक	-

कार्यपालन संभ्री

(अति. ररुच दाव निभाण) संभाग  
म.प्र. पाठशाला निभाण क. लि. इन्दौर

हस्ताक्षर .....  
 नाम .....  
 पद .....  
प्रमोद चारुकर दिव्यात  
सहायक जेजी (सि.सी.ल.)

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही - सही निर्धारण करना संभव नहीं हो, वही वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगे भाग मूल्य बतलाया जाए  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं  
 टिप्पणी :- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।